प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नईटिहरी

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :-
eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः– 1247/पी0–सिं0ख0–2/कुण्ड दिनांक– 30/09/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फोरेस्ट कलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनुपर विकासखण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से कण्ड 8.125 किमी0 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.1415 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या**–FP/UK/ROAD/21822/2016

सन्दर्भ– **भारत सरकार/पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक संख्या**– BB/UCP/06/94/2019/FC DT. 23-09-2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रके क्रम में अवगत कराना है कि जिसमें भारत सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग के समरेखण की संशोधित KML File प्रेषित करने के सम्बन्ध में आपत्ति लगायी गयी है, उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित संशोधित KML File की CD अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक संख्या– 1328/पी0–सिं0ख0–2/कुण्ड, दिनांक 20.09.2024 द्वारा पूर्व में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, वन प्रभाग मुनीकीरेती को प्रेषित की गयी है। उक्त के सन्दर्भ में यह भी अवगतनीय है कि कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक संख्या–1950/12–1/मुनिकीरेती दिनांक 21.03.2025 द्वारा भी आपके कार्यालय को सम्पूर्ण संलग्नकों, CD सहित अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु प्रेषित की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रकरण से सम्बन्धित संशोधित KML File दो प्रति मे, सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 25.09.2025 को आपके कार्यालय में सम्बन्धित को उपलब्ध करा दी गयी है। वर्तमान में उक्त पत्र के क्रम में सुलभ सुविधा हेतु उक्त मोटर मार्ग के समरेखण की संशोधित KML File आपके कार्यालय को ई–मेल (nodalofficerddn@gmail.com) के माध्यम से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु आज दिनांक 30.09.2025 को प्रेषित की गयी है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्त मोटर मार्ग के समरेखण की संशोधित KML File पर लगायी गयी आपत्ति के निराकरण हेतु भारत सरकार/पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः– सन्दर्भित पत्रों की छायाप्रति।

30.09.25

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

पत्रांक– /पी–सि0ख0–2/कुण्ड, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– 1. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

2. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0–2, नई टिहरी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8B/UCP/06/94/2019/FC दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online proposal no.-FP/UK/ROAD/21822/2016)

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 443 /12-1: देहादून: दिनांक 28.08.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव मे इस कार्यालय द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या राज्य सरकार के पत्र दिनॉक 28.08.2025 द्वारा हार्ड प्रति के माध्यम से प्रेषित की गई जिसमे कुछ त्रुटियॉ पाई गई है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. The User Agency shall submit the correct KML file of road alignment.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 23-09-2025
15:13:49

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(24)

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक 1328 / पी0–सि0ख0–2 / कुण्ड	दिनांक– 20 / 09 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग मुनिकीरेती।

विषय– जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 से 8.125 कि0मी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग [illegible] प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/21822/2016)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक संख्या 8 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 94 / 2019 / एफ0सी0, दिनांक 30.08.2024

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा कुछ बिन्दुओं पर अभिलेख तैयार कर भारत सरकार पर्यावरण [illegible] जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित करने को कहा गया। जिसमें बिन्दु संख्या–02 की आख्या के सम्बन्ध में [illegible] है कि वनभूमि के अन्तर्गत मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन के साथ ही वनभूमि प्रत्यावर्तन [illegible] भी यथाशीघ्र अपलोड करना आवश्यक होता है अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं हो पाती है। [illegible] के0एम0एल0 फाईल तथा Geo-Reference मैप प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण पर लिए गये कोर्डिनेट्स के आधार पर तैयार किया [illegible] तकनीकी दक्षता की कमी एवं समयाभाव के कारण वनभूमि प्रस्ताव के लिए तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल [illegible] परिलक्षित हुई है जिसके कारण के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुरूप [illegible] कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान / पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत समरेखण के अनुसार [illegible] गया है।

वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार के0एम0एल0 फाईल तथा गूगल मैप की फोटो तैयार की गयी है [illegible] अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान / कटान व निर्माण कार्य [illegible] गूगल मैप के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं [illegible] पूर्व समरेखण एवं वर्तमान समरेखण की के0एम0एल0 फाईल (सी0डी0) एवं गूगल मैप की फोटो, उक्त दोनों समरेखण [illegible] Schedule इस कार्यालय के पत्रांक सं0–236 / पी0–सि0ख0–2 / कुण्ड, दिनांक 13.02.2024 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग मुनिकीरेती को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसकी प्रति आपको भी सूचनार्थ प्रेषित थी (प्रति संलग्न)।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने स्तर से नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार का [illegible] नई दिल्ली के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में संशोधित के0एम0एल0 को अपलोड किये जाने की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर) 20/09/24
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी
20/09/24

पत्रांक / पी0–सि0ख0–2 / कुण्ड / तददिनांक।
प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–2
नई टिहरी

आवक सं. 1593/12-1
दिनांक 06/11/2024
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वनविभाग हैल्पलाईन न0–1926 (टोल फ्री)
Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 1950 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 21 / 03 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-08बी0/यू0सी0पी0/06/63/2019/एफ0सी0/679 दिनांक 30.08.2024 एवं आपका पत्रांक-994/12-1, दिनांक 19.09.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर किंचित बिन्दुओं की आख्या अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती द्वारा अपने पत्रांक-2381/12-1 दिनांक 17.03.2025 से प्रस्ताव में जारी कमियों के निराकरणोपरान्त, बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। उक्त का अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना संस्तुति सहित मय संलग्नकों के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
21/03/025

पत्रांक:- / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।